भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4414**

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

**केरल को जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि**

**4414. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल को जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान जेजेएम के अंतर्गत आवंटित राशि का उपयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में जेजेएम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गई निधि के साथ-साथ पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों जैसे स्थानीय स्वशासी विभागों द्वारा उपयोग की गई निधि के अनुपात का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कोई अप्रयुक्त राशि वापस की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है ताकि कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से केरल राज्य के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य पानी का प्रावधान किया जा सके।

मिशन की शुरुआत में, केरल में केवल 16.64 लाख (23.51%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 23.03.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 21.89 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 23.03.2025 तक, राज्य के 70.77 लाख ग्रामीण परिवारों में से 38.53 लाख (54.44%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना है।

केन्द्रीय आबंटित निधि, आहरित निधि और केरल राज्य द्वारा संसूचित उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| | केंद्रीय | | | | | राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | अथ# शेष | आवंटित निधि | आहरित निधि | उपलब्ध निधि | संसूचित उपयोग | |
| 2019-20 | 2.58 | 248.76 | 101.29 | 103.87 | 62.69 | 57.23 |
| 2020-21 | 41.18 | 404.24 | 303.18 | 344.36 | 304.29 | 311.25 |
| 2021-22 | 40.07 | 1,804.59 | 1,353.44 | 1,393.51 | 957.44 | 1,059.57 |
| 2022-23 | 436.08 | 2,206.54 | 2,206.54 | 2,642.62 | 1,741.93 | 1,741.68 |
| 2023-24 | 900.69 | 1,342.36 | 671.18 | 1,571.87 | 1,465.41 | 1,448.53 |
| 2024-25* | 106.45 | 1,949.36 | 974.68 | 1,081.13 | 993.64 | 980.77 |

*23.03.2025 तक #पिछले वर्ष की उपयोग नहीं की गई राशि, एनडी: आहरित नहीं,
स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासी विभागों जैसे कि पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायत-वार निधि आबंटन और उनके ब्यौरे इस विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

*****